न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 09 / 2017
आदेश दिनांक– 05.05.2022

1 बेगाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.....प्रार्थी

बनाम

1. मगनीराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. बलदेवाराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
5. बनवारीलाल पुत्र स्व. जीवणराम जाति जाट (झूरिया) निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
6. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
7. रूपाराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
8. तहसीलदार तहसील कार्यालय सुजानगढ़ पोस्ट सुजानगढ़ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

1. उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता श्री बनवारीलाल खिंचड़ एड.
2. उपस्थित अप्रार्थी संख्या 01, 03, 05 व 07 अधिवक्ता श्री बजरंग सिंह एड.
3. उपस्थित अप्रार्थी संख्या 06 अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा एड.

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं की खातेदारी खेत खसरा संख्या 603 / 266 रकबा

02 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रस्तुत किया। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खेत खसरा संख्या 602/266 व खसरा संख्या 507/504 के खातेदार तथा अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 खेत खसरा संख्या 512/265 रकबा 14 बीघा 12 बिश्वा के खातेदार तथा अप्रार्थी संख्या 3 काबिज काश्तकार हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 603/266 के उतरी व पूर्वी तरफ के चिपते पड़ौसी तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 जो प्रार्थी के पश्चिम तरफ के चिपते पड़ौसी हैं। प्रार्थी के वादगत खेत के दक्षिण तरफ चिपता सार्वजनिक गैर मुमकिन कटाणी रास्ता है जिसके स्वामी/मालिक अप्रार्थी संख्या 8 है। अप्रार्थी संख्या 8 भूमियों व अकाश्त भूमियों के मालिक राजस्थान सरकार के पक्षकार संयोजित किये गये हैं।

प्रार्थी ने वादगत खेत खसरा संख्या 603/266 का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, राशि जमा करवाई गई जिसके आधार पर हल्का पटवारी नौरगंसर के द्वारा रोही खारिया बड़ा के खेत खसरा संख्या 603/266 की पैमाइश की गई जिसमें प्रार्थी बेगाराम का खेत रोही ग्राम खारिया बड़ा खसरा संख्या 603/266 तादादी 2 बीघा 13 बिश्वा मौके पर पैमाईश करने पर 1 बीघा 05 बिश्वा पाई गई यानि खेत खसरा संख्या 603/266 आज दिनांक को भी रकबा पूरा नही है। रोही ग्राम खारिया बड़ा के खेत खसरा संख्या 602/266 खसरा संख्या 603/266 दोनों एक ही खसरे के भाग हैं। खसरा संख्या 507/504, 503/267 व खसरा संख्या 508/504 तीनों खसराजात एक खसरे के भाग हैं। इन उपरोक्त सभी खसराजात की पैमाइश होने से ही सही ढंग से कानूनी रूप से पत्थरगढ़ी होना सम्भव है। अप्रार्थीगण 4 ता 7 खसरा सख्या 507/504, 503/267 व 508/504 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 603/266 रोही ग्राम खारिया बड़ा के पड़ौसी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 हर वर्ष मौसम काश्त में सीमा, सीमा चिन्हों के बारे में विवाद करते रहते हैं और अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने तो प्रार्थी के बीच की सीव को नष्ट कर प्रार्थी की भूमि दबाई है व भूमि दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 603/266 रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही

खारिया बड़ा कृषि भूमि का तहसीलदार सुजानगढ़ के आदेशानुसार हल्का पटवारी नौरंगसर ने दिनांक 25.06.2016 को सीमाज्ञान किया तब प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से प्रार्थी के खेत के सीमाचिन्ह हटाकर कब्जा करना चाहता है।

प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 603 / 266 रकबा 02 बीघा 13 बिश्वा की चारों सीमाओं की सीवों को नाप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी कानूनन अधिकारी है। तथा वादगत खेत रोही खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने से धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 09.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01, 03, 05 ता 07 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 01, 05 व 07 ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत राजस्व रिकॉर्ड पर आधारित होने पर व वास्तविकता से विपरीत व आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 03 के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये स्वीकार किया जाता है तो कोई आपति नही है। अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 05 ने अप्रार्थी संख्या 06 से ऋण ले रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 06 का ऋण चुकता किये बिना उक्त खसरान में किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने सीमाकंन करवाने हेतु दिनांक 02.06.2015 तहसीलदार सुजानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट किया कि बेगाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी खारिया बड़ा के खेत खसरा संख्या 603 / 266 तादादी 2–13 बीघा की मौके पर पैमाइश करने पर 1–05 बीघा भूमि पाई गई।

बेगाराम के उतर दिशा में चिपता हुआ अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 602 / 266 लगता है और पूर्व दिशा में खेत खसरा संख्या 507 / 504 लगता है। खातेदार

मगनीराम मौके पर उपस्थित नहीं मिला तथा मौके पर खेत में मगनीराम के परिवार के व्यक्ति मिले, मगनीराम की अनुपस्थिति में सीमाज्ञान करवाने से इन्कार हो गये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

वकील प्रार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.07.2019 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी का निर्णय हो चुका है तथा वर्तमान में कोई स्थगन आदेश नहीं है। राज पैरोकार को जवाब हेतु बहुत अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली का मय राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक प्रार्थी की मौके पर खेत खसरा संख्या 603 / 266 तादादी 2–13 बीघा के बजाय 1–05 बीघा भूमि पाई गई। तथा अप्रार्थी संख्या 01 के परिवारजनों ने मौके पर पैमाइश करने के लिए मना कर दिया। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश का निर्णय हो चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 08 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 603 / 266 तादादी 2 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का सीमाज्ञान किया जाकर चारों सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाई जाई। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़